# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दूदू

बइजलास :– डॉ. अर्तिका शुक्ला ( आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 136/2023 पुनः दर्ज न. 04/2023

तरंग अग्रवाल पुत्री अनिल अग्रवाल जाति महाजन निवासी 13/3/47 फर्स्ट फ्लोर एम.आई रोड जयपुर।

(प्रार्थी)

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद श्री हेमन्त कुमार आर.ए.एस.

2. सुवालाल पुत्र देवी लाल जाति गुर्जर निवासी चान्दरमूल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर हाल जिला दूदू

3. देवीलाल पुत्र भागीरथ जाति गुर्जर निवासी चान्दरमूल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर हाल जिला दूदू

4. मैसर्स पार्थ टाउनशिप प्रा0लि0 निवासी एच–31 टैगोर पथ बनीपार्क जयपुर जिला जयपुर।

5. मैसर्स कनकधारा बिल्डकॉम प्रा0लि0 पता ए– 1/268 जनकपुरी नई दिल्ली

6. अनिल अग्रवाल पुत्र श्यामबिहारी अग्रवाल निवासी एच–31 टैगोर पथ बनीपार्क जयपुर जिला जयपुर।

7 शैतान पुत्र देवीलाल जाति गुर्जर निवासी चान्दरमूल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर हाल जिला दूदू

8. कैलाश पुत्र देवीलाल जाति गुर्जर निवासी चान्दरमूल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर हाल जिला दूदू

9. गोपाल पुत्र देवीलाल जाति गुर्जर निवासी चान्दरमूल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर हाल जिला दूदू

10. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद

(अप्रार्थीगण)

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

**मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद में विचाराधीन प्रकरण संख्या 549/2023 बउनवानी सुवालाल बनाम देवीलाल वगैरह को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित करने बाबत।**

उपस्थित :–

1. श्री बलवीर चौधरी विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री भैरूलाल शर्मा विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी 2

निर्णय दिनांक :– 13.2.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 2 सुवालाल पुत्र देवीलाल ने एक राजस्व वाद संख्या 549/2023 बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद के समक्ष दिनांक 8.6.2023 को प्रस्तुत किया। जिसमें केवियटकर्ता को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश पारित किये जाने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 ,3, 7 ल0 9 मौके पर आये व उन्होने प्रार्थीया व अन्य अप्रार्थीगण से कहा कि चाहे तुम कितनी ही केवियट लगा लो हमारी अधिकारी से बात हो गयी है वो तुम्हारे खिलाफ स्थगन जारी करेंगें ही करेगें इसलिए तुम हमारी बात मान लो और हमारी जमीन हो हमारे पिता के नाम है जिसे तुमने खरीदा है और कन्वर्ट कराया है उसे वापिस हमे सौप दो वरना हम तुम्हे कोई कार्य नही करने देगें। तुम हमारे इलाके में हो यहां कोई अधिकारी हमारे खिलाफ आदेश पारित नही कर सकता। उपखण्ड अधिकारी हेमन्त कुमार अब तुम्हारे न्यायालय में पहूंचते ही तुम्हारे खिलाफ आदेश पारित कर देगे। हमने उन्हें सबसे कहलवा दिया है। उपखण्ड अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2,3, 7 ल0 9 के दबाव में है। पार्थीया को पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई आशा नही है। इसलिए प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिया जाना नितान्त आवश्यक है। प्रार्थिया को

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में बिना सम्यक सुनवाई अवसर दिये आदेश पारित कर दिया गया तो प्रार्थिया अपने कानूनी हक अधिकारों से वंचित हो जायेगी। इसलिए प्रकरण को न्यायहित में अन्य सक्षम न्यायालय मे हस्तान्तरित किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद में लम्बित राजस्व वाद संख्या 549/2023 उनवानी सुवालाल बनाम देवीलाल व अन्य को निष्पक्ष न्याय निर्णय हेतु अन्य अदालत में स्थानान्तरण करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण नवसृजित जिला दूदू के क्षैत्राधिकार का होने से प्रकरण जिला कलक्टर जयपुर से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी फागी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

अप्रार्थी संख्या 2 की तरफ से श्री भैरूलाल शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनाम पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 3, 7, 9 की तरफ से कोई उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 4, 5, 6, 8, 10 फोरमल पक्षकार होने एवं प्रकरण समरी ट्राइल का होने से तलवी जारी नही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ने बिन्दूवार टिप्पणी प्रेषित कर बताया कि मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य मनगढंत व झूठे एवं आधारहीन है। प्रकरण प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण की सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये है। प्रार्थी ने प्रथम पेशी पर ही आधारहीन एवं बेबुनियाद तथ्यो के आधार पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। लेकिन प्रार्थी ने न्याय प्राप्त नही होने का तथ्य अंकित किया है। इसलिए यदि इस प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 की मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मुन्तकिल में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद से न्याय की उम्मीद नही है। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 7 ल0 9 ने अप्रार्थी संख्या 1 पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

कर रखी है। अप्रार्थी संख्या 2 ने विभिन्न न्यायालयो में प्रार्थी के विरूद्व अनेक मुकदमें दायर करवा रखे है। ऐनकेन प्रकारेण अनावश्यक स्थगन प्राप्त कर प्रार्थी को नाजायत रूप से परेशान किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 भी मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रकरण में स्थगन आदेश जारी करने पर आमादा है। इसलिए प्रकरण को अन्यत्र राक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रकरण अन्यत्र स्थानान्तरित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी 2 ने अपनी बहस में बताया कि मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य झूठे एवं आधारहीन है। प्रार्थिया ने प्रथम तारीख पेशी पर ही झूंठे तथ्यो के आधार पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है, प्रार्थी ने प्रकरण को महज हैरान व परेशान करने की नियत से एवं प्रकरण को दैरीना करने के उदेश्य से गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 2 की किसी प्रकार से पीठासीन अधिकारी से कोई सांठ सांठ नही है। प्रार्थी ने प्रकरण को देरीना करने के इरादे से मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसलिए आधारहीन प्रार्थना पत्र को मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

हमने वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 की बहस पर गौर पूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद की आदेशिकाओ के अवलोकन से ऐसा कही नही प्रकट होता है की पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायिक प्रकिया से बाहर जाकर कोई कार्य किया गया हो। वाद प्रस्तुत होने के बाद प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जाकर प्रथम तारीख पेशी ही दी गई है, केवल आशंका के आधार पर पीठासीन अधिकारी के आचरण पर किसी प्रकार की टिप्पणी नही की जा सकती है, पीठासीन अधिकारी ने अप्रार्थीगण के पक्ष मे कोई अनुचित आदेश भी पारित नही किया है, केवल आशंका के आधार किसी प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना व्यावहारिक प्रतीत नही होता है। प्रार्थी को जो आशंका है, उसका आधार रिकॉर्ड पर होना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण मे ऐसा कोई आधार नही है। प्रार्थी ने आधारहीन तथ्यो के आधार पर प्रकरण को महज देरीना करने के उद्वेश्य से प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश करना प्रतीत होता है।

अतः उक्त तथ्यो के विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुन्तकिल आधारहीन होने से खारिज किया जाता है।

न्यायालय जिला कलक्टर दूदू (राज0)

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद को प्रेषित की जावे। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 13.2.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 अर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
दूदू(राज0)